



दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर – 273009

पत्रांक : सम्बद्धता / 2019 / (9) 1810

दिनांक 30/05/2019

संग्रह

प्रबन्धक / प्राचार्य

मौलिक इस्टेट्यूट और हायर एजुकेशन रिसर्च एण्ड टेक्नोलॉजी, कुर्खीय, बसठीला पाण्डे, कुशीनगर

विषय : स्तरक स्तर पर कल संकाय के अंतर्गत हिन्दी, प्राचीन इतिहास, शिक्षाशास्त्र, मृहविज्ञान, गणितशास्त्र भूगोल एवं समाजशास्त्र विषयों में अस्वाई सम्बद्धता के सम्बन्ध में।

महोदय

उपर्युक्त विषय के सदर्भ में अवगत करना है कि माननीय कार्यपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन अधिनियम 2014) की धारा 37(2) के अधीन समिति ने महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत कागजातों, सम्बद्धता से सम्बन्धित अभिलेखों एवं शासनादेशों के अनुसार परीक्षण किया गया। परीक्षणोंपरान्त समिति ने बिरीजन मण्डल की आड्या एवं संस्कृति के आधार पर समिति द्वारा जिर्य लिया गया कि उपर्युक्त अभिलेखों एवं महाविद्यालय के विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये अनापति अदेह सम्बन्धी पत्र में उल्लिखित कमियों/सर्वों का विरोध/पूर्ति, महाविद्यालय द्वारा दिवांक 30 जून, 2019 तक दिया जायेगा, के शर्त के अधीन, दिवांक 01.07.2019 से आगामी तीव्र वर्ष हेतु यावित विषयों में कमियों को पूर्ण करने की शर्त पर अस्वाई सम्बद्धता प्रदान करने की जाती है।

सम्बद्धता समिति के संस्थान के आधार पर नोतीवन्ट इस्टेट्यूट, प्राचीन इतिहास, शिक्षाशास्त्र, मृहविज्ञान, गणितशास्त्र भूगोल एवं समाजशास्त्र विषयों में अस्वाई सम्बद्धता दिवांक 01.07.2019 से तीन वर्ष हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है—

1. महाविद्यालय, सम्बद्धता द्वारा इंगित कमियों वा— प्राचार्य अनुमोदन बाधित है। शिक्षक अनुमोदन बाधित है। अद्यतन सीए रिपोर्ट बाधित है। साथ ही अनापति पत्र में दी गयी शर्तों को पूर्ण करने के उपरान्त ही विश्वविद्यालय से कक्षा संचालन की अनुमति प्राप्त करेगा। कक्षा संचालन की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही छात्रों का प्रवेश सुनिश्चित करेगा। अन्यथा की स्थिति में लिया गया छात्रों का प्रवेश अवैध माना जायेगा।
2. महाविद्यालय द्वारा प्राचार्य/प्रदक्षिताओं को कार्यमार्ग ग्रहण करा कर नियुक्ति पत्र, कार्यमार्ग ग्रहण प्रमाण पत्र एवं संविदा पत्र विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराया जायेगा तथा इनका बैंक के माध्यम से बेतन भुगतान कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
3. संस्था शासनादेश संख्या—2851 / सत्तर-2-2003-16(92) / 2002 दिनांक 02 जुलाई, 2003 एवं शासनादेश संख्या 4108 / सत्तर-2-2007-2(494) / 2007 दिनांक 17.10.2007 तथा शासनादेश संख्या 2112 / सत्तर-2-2008- 2(494) / 2007 दिनांक 09 मई, 2008 में उल्लिखित सुसंगत दिशा—निर्देशों एवं इस विषय में समय—समय पर निर्मित अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
4. रिट याचिका संख्या 61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों का अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या 522 / सत्तर-2-2012-3(650) / 2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. कठिपय सम्बन्धों/महाविद्यालय को संशर्त सम्बद्धता आदेशों में इंगित कमियों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालय एक माह में पूर्ण करने की सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा। संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रीरित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तों को निरन्तर पूरी कर रहा है।
6. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।
7. संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश 2003 द्वारा मूल अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा, अन्यथा अगले सत्र से छात्रों का प्रवेश प्रतिवर्षित रहेगा।
8. संस्था का संचालन व्यावसायिक आधार पर नहीं किया जायेगा।
9. संस्था शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय—समय पर निर्मित किये जाने वाले समस्त आदेशों का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
10. संस्था विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश कदापि नहीं तथा विद्यार्थियों से शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शिक्षण व अन्य शुल्क ही प्राप्त करेगी।
11. संस्था परिसर को रींगिंग मुक्त रखेगी।
12. संस्था रववितपोषित पाठ्यक्रमों के संचालन के सम्बन्ध में अधिनियम/परिनियम/अध्यादेश/शासनादेशों में दी गई व्यवस्था/निर्देशों का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
13. महाविद्यालय की अस्वाई सम्बद्धता की संस्कृति इस शर्त के साथ की जाती है कि महाविद्यालय को दी जाने वाली सम्बद्धता में यदि कोई वैधानिक प्रक्रिया अथवा नियमों का उल्लंघन नविष्य में पायी जाती है तो सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जायेगी और उपरोक्त के सम्बन्ध में महाविद्यालय के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
14. महाविद्यालय द्वारा ए0आईएस0एच0ई0 2017–18 एवं 2018–19 का फार्म पूरित कर दिया जायेगा अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता वापस लेने की नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
15. महाविद्यालय एन0सी0टी0ई0 द्वारा समय—समय पर दिये गये निर्देशों का अनुपालन करेगा, अन्यथा विश्वविद्यालय द्वारा दी गयी सम्बद्धता स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

भवदीय,
कुलसचिव

प्रृष्ठाकृत संख्या: दीदउगोविवि/सम्बद्धता/2019 / तददिनांक/

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

- (1). प्रभुख सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ। (2). निदेशक, उच्च शिक्षा उ0प्र0, इलाहाबाद/क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर। (3). अधिकारी, शिक्षा संकाय/परीक्षा/उप कुलसचिव, परीक्षा सामान्य, दी0द0उ0 गोविंदपुर, गोरखपुर। (4). उपकुलसचिव, कमेटी को इस आशय से प्रेषित कि माननीय कार्यपरिषद के अनुमोदन हेतु इसे आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का कार्य करें/कुलसचिव कार्यालय। (5). सचिव कुलपति, जी के सूचनार्थ। (6). गार्ड फाईल (सम्बद्धता)।

कुलसचिव

